कार्यालय अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / 12999 /छात्र/एमसी/2018, रीवा,दिनांक 26/7/2018

आम सूचना

चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के समस्त पी.जी. (एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा) छात्रों को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा की गई हड़ताल को दिनांक 23.07.2018 म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा विर्निदिष्ट सेवा में कार्य किये जाने एवं सामूहिक अवकाश लिये जाने से दिनांक 23.07.2018 से आगामी 3 माह की अवधि के लिये प्रतिषेध किया गया है, एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (नियम 3 (IV) 2017 यथा " दुराचरण अनुशासनहीनता एवं अनाधिकृति रूप से अनुपस्थित " नियम के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन को निरस्त किया जाना सम्मिलित है।

उक्त हड़ताल के विरूद्ध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 1882/2014 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2018 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि हड़ताल अवैध है, परन्तु आज दिनांक 26.07.2018 तक आप कार्य पर उपस्थित नही हुये है, आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होवें अन्यथा आपके विरूद्ध ऐस्मा की धारा–4 के तहत् प्राथमिक सूचना दर्ज करने की कार्यवाही, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अव्हेलना करने पर अवमानना याचिका दायर करने की कार्यवाही एवं म.प्र. एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के द्वारा पंजियन रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner